न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप

पीठासीन अधिकारी– मांगीलाल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः– 03/2019

1. सुमेरसिंह पुत्र श्री माधोसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. उच्छबकंवर पत्नी रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर
2. पूनमसिंह गोदपुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की और से

–:निर्णयः–

दिनांकः– 19.09.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थी ने आज अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर उक्त वाद प्रथम दृष्ट्या ही प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की सामलाती खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नंबर 551 रकबा 55.02 बीघा भूमि सरहद मौजा बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी को 2/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 का 2/8 हिस्सा भूमि बंट में आती है। उक्त भूमि की पूर्व खातेदार भंवरकंवर पत्नी माधोसिंह एवं पवनकंवर पुत्री माधोसिंह ने अपने 2/8 हिससा की सम्पूर्ण भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिया। नंकल जाबंदी एंव विकय पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश है। प्रार्थी उक्त खसरान् की भूमि का [illegible] है जिसका कब्जा व काश्त अपने 2/8 हिस्सा पर आज दिन तक [illegible] आ रहा है। प्रार्थी ने बंट हिससा एवं कब्जा काश्त की भूमि को देशी खाद [illegible] डालकर मेहनत मसकत कर समतल कर उपजाउ बनाया हुआ है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में अ[illegible] हिस्से की भूमि पर अपनी रहवासीय ढाणी, पानी का टांका, पालतु मवेशियों के लिए बाड़ा इत्यादि बनाये हुवे है तथा उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहा है तथा उक्त अपने बंट एंव हिस्सा की भूमि की काश्त के मौसम में काश्त करता एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)

अवेरता आ रहा है तथा प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि की प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के मध्य आज दिन तक बंटवाड़ा नहीं हुआ है और मौके पर जमीन शामलाती ही चली आ रही है जब तक किसी शामलाती भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि के सहखातेदारान को उक्त भूमि का बेचान या हस्तांतरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है लेकिन उक्त भूमि की पूर्व खातेदार भंवरकंवर पत्नि माधोसिंह एवं पवनकंवर पुत्री माधोसिंह ने अपने 2/8 हिस्सा की भूमि का बेचान उक्त भूमि का बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये अप्रार्थीगण संख्या 1 को बेचान कर दिया है तथा उक्त बेचान के आधार पर खरीददार अप्रार्थीग संख्या 1 प्रार्थी के बंट, हिस्सा एवं कब्जा काश्त की उपजाउ भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थी उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 551 रकबा 55.02 बीधा भूमि सरहद मोजा बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के मध्य उनके हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा करवाकर प्रत्येक खातेदार के नाम से अलग अलग खाता कायम करवाकर इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में तरमीम करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त गैर कानूनी और नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल हो जाता है ता प्रार्थी को प्राप्त खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होग्रा, प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति एंव हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी अकेला एवं असाहय व्यक्ति है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 साधन सम्पन्न एवं उची राजनेतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। प्रार्थी उनका मुकाबला करने असक्षम है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये कानून रोका जाना अत्यन्त ही आवश्यक है। अतः प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 1 सरहद मौजा बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा के खसरा नंबर 551 रकबा 55.02 बीधा भूमि में प्रार्थी के बंट हिस्सा एंव कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे और न ही प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से जोर जबरदस्ती बेदखल ही करे और मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिसका यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 इस आशय की जारी की [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 राजस्व ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा के खसरा नंबर 551 रकबा 55.02 बीघा भूमि में प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे एवं मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(जोधपुर)

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है–

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व वाद बिलकुल ही निराधार, मनगढंत, काल्पनिक तथ्य पर आधिरित होने से तथा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई संभावना नही होने से प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 551 रकबा 55.02 बीघा ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा के 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा 1/4 हिस्सा ही अप्रार्थी संख्या 1 जवाबदाता का है तथा सम्पूर्ण रकबे आधे हिस्से के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 है तथा इसी हिस्से अनुरूप पक्षकारों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा वर्णित तथ्य कि मेरी ढाणी, पानी का टांका गलत होने से अस्वीकार है। बिना बंटवाड़ा के संयुक्त खातेदार द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान नहीं किया जा सकता का गलत होने से अस्वीकार है, बिना बंटवाड़ा के कोई संयुक्त खातेदार बेचान करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है तथा विवादग्रस्त भूमि ग्राम बोम्बेपुरा के खसरा नंबर 551 रकबा 55.02 बीघा के 1/4 हिस्से के खातेदार भंवर कंवर पत्नि माधोसिंह तथा पवन कंवर पुत्री माधोसिंह द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से को अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 19.05.2017 को बेचान कर कब्जा मौके पर सौंप दिया और बेचान के दिन से ही अप्रार्थी संख्या 1 का खरीद की गई 1/4 हिस्सा की भूमि पर खसरा नंबर 548 के चिपता कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांति पूर्वक तरीके से चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये बेचान का प्रार्थी को शुरू से ही ज्ञान या जानकारी थी। अप्रार्थी संख्या 1 की और से निवदेन है कि अप्राथी संख्या 1 की खरीद सुदा भूमि खसरा नंबर 548 के चिती ही भूमि पर कब्जा काश्त है तथा उसी भूमि पर कब्जा करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर उक्त दावा पेश किया है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जा काश्त की भूमि में दखल अंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त से बेदखल करने से जरिये सथाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी को रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा जवाबदाता विवादित भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार होने से अप्रार्थी के विरूद्व किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] सु[illegible]यी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. 2014(1)RRT 221
2. 1996 RRD 148

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थन्ना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी एवं प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

कलेक्टर
(जोधपुर)

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है व प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 ने पूर्व खातेदार भवंरकंवर पत्नी माधोसिंह एवं पवन कंवर पुत्री माधोसिंह से वादग्रस्त भूमि में हिस्सा क्रय किया है, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार भी किया है, अर्थात अप्रार्थी संख्या 01 एक तरह से अजनबी क्रेता है जिसका भूमि बैचान के उपरान्त सहकाश्तकारी में नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ है। चूंकि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है अतः उन्हे अपने हक व हिस्से की हद तक आराजी के उपयोग–उपभोग करने के लिये स्वतन्त्र है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के विशिष्ट हक व हिस्से का निर्धारण न्यायांलय हाजा में विचाराधीन दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निस्तारण के उपरान्त ही किया जा सकता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना औश्र जवाब प्रार्थना, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है, और अप्रार्थी संख्या 01 का नाम वादग्रस्त आराजी में क्रय उपरान्त दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुआ है। चूंकि प्राथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी [illegible] साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं जारी की जाती है तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्राथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि सरहद मौजा बोम्बेपुरा पटवार [illegible] नम्बर 551 रकबा 55.02 बीघा में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक व हिस्सा तक दखलबंदाजी न [illegible] मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी और अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपने हक व हिस्से को बैचान करने के लिये स्वतन्त्र है। पत्रावली इसी कदर नि[illegible] शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested